

O.S.D. (PLG)  
Diary No.....599  
Date.....29-12-2011



**MOST IMMEDIATE**

No. K-12011/4/2011 DDIB  
भारत सरकार / Government of India

OFFICE OF THE DIR (Plg.)  
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2  
Dy.No.....1682.....  
Dated.....2/1/12.....

शहरी विकास मंत्रालय / Ministry of Urban Development

निर्माण भवन / Nirman Bhavan

Commr. (Plg) - II  
Despatch.....T-302.....  
Date.....29-12-11.....

नई दिल्ली / New Delhi

Dated 26-12-2011

To

✓ The Vice Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi. 1	2.	The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Civic Centre, Minto Road, New Delhi-2
The Chairman, New Delhi Municipal Council, Palika Kendra, New Delhi.	4.	The Principal Secretary(UD), Govt. of NCT of Delhi, I.P. Estate, New Delhi

Com (Plg) - II  
A. K. Singh  
29/12/2011

Subject:- भारत प्लान 2021 में सुधार (रिपत्र) के संबंध में कुछ मुख्य  
सुझाव एवं अन्य संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु निवेदन

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of representation  
dated 16-12-2011 received from Prashant Vikar Shops &  
Establishment Association (R) on the  
subject cited above for appropriate action, under intimation to this  
Ministry.

29/12  
Dir (MPR)

Yours faithfully,

(Sunil Kumar)  
Under Secretary (DDIB)  
Tel.No.23061681

3179-B  
दिनांक 27/12/2011

Encl. as above.



# PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

OFFICE : A-13, PRASHANT VIHAR, DELHI - 110085 PHONE : 011-27568595, 27860488

Ref. No. ....

Dated 16 Dec 2011

To,

श्री कमलनाथ जी,  
माननीय मंत्री महोदय  
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार,  
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001

may pl. be examined.  
by  
17/12/11 PS to UDM

OFFICE OF UDM  
Dy. No. 4593  
Date 20/12/11

**विषय:- मास्टर प्लान 2021 में सुधार, (रिण्यू) के संबंध में कुछ मुख्य सुझाव एवं अन्य संबन्धित समस्याओं के निवारण हेतु निवेदन**

माननीय महोदय,

समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार/डी.डी.ए. ने दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में सुधार हेतु जनता से सुझाव आमंत्रित किये हैं इस संबन्ध में हमारे कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं।

### 1 . 4.4.3 Control for Building/Buildings within Residential Premises

क. अतिरिक्त निर्माण के नियमितकरण हेतु लाई गई दिनांक 22.09.2006 की अधिसूचना का लाभ लाखों सम्पत्तियों को अभी तक नहीं मिला है। (जिसके कई कारण रहे हैं) अतः हमारा सुझाव है कि मास्टर प्लान के इस भाग में वर्णित धारा संख्या A Residential Plot-Plotted Housing की क्रम संख्या 2 एवं 4 में वर्णित दिनांक 22.09.2006 के स्थान पर वर्तमान तिथि अंकित की जाए तथा अन्य आवश्यक उपाय किए जाए। जिससे जनता इसका लाभ उठा सके।

ख. इसी भाग के Terms/Condition की क्रम संख्या (IV) में सब डिवीजन की इजाजत दी जाए क्योंकि दिल्ली में लाखों की संख्या में सम्पत्तियां फ्लोरवाइज एवं पोरशनवाइज बिक चुकी है जिन्हें नियमित करने हेतु इन सम्पत्तियों के सब डिवीजन की इजाजत देना अति आवश्यक है।

ग. क्रम संख्या (VI) बैसमेन्ट के संबंध में हमारा सुझाव है कि जो सम्पत्तियां Mixed Use Regulations (Chapter 15.0) के अन्तर्गत आती हैं उनके बैसमेन्ट को FAR में नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इन में Residential Building Control Norms लागू होते हैं।

*[Handwritten signature and initials]*  
01/12/11  
JB

घ. क्रम संख्या (VIII) के पार्किंग के संबंध में हमारा सुझाव है कि जो प्रावधान 07.02.2007 को मौजूद थे वह जारी रखें जाए।

पिछले दिनों दि.न.नि. ने नक्शा पास करने हेतु 100 मी० एवं इससे बड़े रिहायशी एवं मिक्स यूज Regulations के अन्तर्गत मौजूद भवनों के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग बनाना अनिवार्य कर दिया है। जबकि यह सर्वविदित है कि जो भवन बन चुके हैं और उसके विभिन्न भागों के विभिन्न मालिक हैं वहां यह पार्किंग बनाना सम्भव नहीं है। अतः हमारा सुझाव है कि पार्किंग की अनिवार्यता 250 मीटर और इस से बड़े प्लॉटों के नव निर्माण पर ही लागू होने चाहिए तथा 250 मीटर से छोटे प्लॉटों पर दी गई छूट जारी रहनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली नगर निगम 20 मीटर से बड़ी (24 कैटेगिरी) की सम्पत्तियों को छोड़ के बाकी सभी उपयोग कर्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूलता है।

ड. क्रम संख्या (XVII) के सम्बन्ध में इस संबन्ध में हमारा सुझाव है कि नियमित कालोनियों में (Mixed Use Regulations के अन्तर्गत मौजूद सम्पत्तियों सहित) 250 मीटर तक के प्लॉटों एवं 3 मी० से ऊर्ची ऊंचाई पर मौजूद 1 मीटर तक के छज्जों को भी नियमित करने की इजाजत दी जाए क्योंकि इस प्रकार के छज्जें दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में बने हुए हैं जिन्हें आज तोड़ा जाना सम्भव नहीं है। जो छज्जें कवर्ड हैं उसे FAR में जोड़ा जाए और जो छज्जे कवर्ड नहीं हैं उसे FAR में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

## 2. 15.0 Mixed use Regulations के सम्बन्ध में

क. कैटेगिरी C, D, E एवं F में मौजूद 13.5 मी० और इससे ऊपर की सभी सड़कों/एरिया जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक भवनों में दूकानें/कार्यालय या अन्य गतिविधियां मौजूद हैं, जिसकी लोकल शॉपिंग सेंटर में इजाजत है। ऐसी सभी सड़कों/एरिया को पूर्णतः कर्मशियल घोषित किया जाना चाहिए।

ख. 15.4 की क्रम संख्या (IV) का व्यावहारिक रूप से वास्तव में कोई औचित्य नहीं है अतः इसे हटाया जाना चाहिए।

ग. पार्किंग शुल्क के सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम ने एकाएक इस वर्ष से नोटिफाइड सड़को पर मौजूद 20 मीटर तक की 24 कैटेगिरी की छोटी दुकानों से पार्किंग चार्ज वसूल करना शुरू कर दिया है जबकि इनको पार्किंग चार्ज से कानूनन छूट मिली हुई है डी.डी.ए. द्वारा जारी नोटिफिकेशन The DDA (Fixation of Charge for Mixed use and Commercial use of Premises) Regulations 2006 एवं 2007 की धारा 7.3 में लिखा है "No development Charges for Parking Shall be Payable by small shopowners of area upto 20 sqm. Dealing with the items/activities as defined in para 15.6.3 of the Master Plan for Delhi 2021 in respect of any category of colonies." जिस में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि दिल्ली की किसी भी कैटेगिरी की कालोनियों में इन 20 मीटर तक की 24 कैटेगिरी (15.6.3 में वर्णित) की सभी दुकानों को पार्किंग शुल्क ना देने की छूट प्राप्त है जो कि भारत सरकार/शहरी विकास मंत्रालय की सहमति से डी.डी.ए. ने इन सभी (उपयोगकर्ताओं/सम्पत्तिधारकों) को

प्रदान की है चाहे वे नोटिफाइड सड़को पर मौजूद हो, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव करना वास्तव में समानता के संवैधानिक अधिकार का खुला उल्लंघन है।

उपरोक्त लिखित सुझावों के अतिरिक्त मास्टर प्लान एवं भवन नियमों से सम्बन्धित कुछ अन्य समस्याएं हैं जिनका निवारण भी जल्द से जल्द किया जाना अति आवश्यक है। सम्बन्धित समस्याएं एवं सुझाव निम्नलिखित हैं।

3. कैंन्सिल लीज डीड वाली सम्पत्तियां एवं प्रोसिक््यूशन्स केसों के सम्बन्ध में: जिन भवनों की लीज डीड कैंन्सिल है/प्रक्रिया में है, इनमें ऐसी सम्पत्तियां जिनको मास्टर प्लान 2021 दिनांक 07.02.2006/15.09.2006 के अनुसार मिश्रित/कर्मिश्यल भू प्रयोग की अनुमति मिल चुकी है या दिनांक 22.09.2006 की अधिसूचना से राहत मिली है ऐसी सम्पत्तियों की लीज डीड नियमित की जाए तथा डमैज/मिसयूज चार्ज आदि एवं प्रोसिक््यूशन्स केस(कोर्ट केस) समाप्त किये जाए। इस सम्बन्ध में हम कई बार निवेदन कर चुके हैं तथा तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय ने उस पर आदेश भी (प्रति संलग्न) जारी किये थे परन्तु उसके बाद इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है।


4. अतिरिक्त एवं अवैध निर्माण के नियमितिकरण के सम्बन्ध में:-काफी प्रयास के बाद मास्टर प्लान 2021 एवं 22.09.2006 की अधिसूचना के द्वारा दिल्ली के नागरिकों को राहत देने का प्रयास किया गया था परन्तु हमारी जानकारी के अनुसार बहुत कम सम्पत्तिधारक/व्यापारी (लगभग 4000 से 4500) अपने अतिरिक्त/अवैध निर्माण को नियमित करा पाए हैं। जबकि दिल्ली में अतिरिक्त/अवैध निर्माण की संख्या लाखों में है अतः भवनों के संशोधित नक्शे/अतिरिक्त निर्माण/अवैध निर्माण को मास्टर प्लान 2021/दिनांक 22.09.2006 की अधिसूचना के अनुसार स्वयं घोषित योजना (Self Assessment Sceem) के आधार पर नियमित करने की सरल व्यवस्था की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में हम कई बार दि.न.नि. को निवेदन कर चुके हैं। (प्रति संलग्न है)।

अन्त में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उपरोक्त सुझावों, समस्याओं एवं तथ्यों पर विशेष ध्यान देते हुये आवश्यक कदम उठाये जाये। जिससे दिल्ली की जनता को राहत एवं न्याय मिले।

धन्यवाद

संलग्न प्रति :-

1. उपाध्यक्ष महोदय दि०वि०प्रा०
2. श्री एस०बी० खोदाकर, निदेशक  
(मास्टर प्लान) डी०डी०ए०, छटी  
मंजिल, विकास मीनार,  
आई०टी०ओ०, नई दिल्ली

निवेदन  
  
महासचिव  
(सुभाष मलिक)